न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 81/2021 **दायर दिनांकः 22.04.2021**

उनवान

1. पारवती बाई पुत्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादिया

बनाम

1. विरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. विमला बाई पत्नि रामदयाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह हाडा

निर्णय **दिनांक 19.06.2025**

वादिया ने यह वाद अर्न्तगत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल हरनावदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 विरेन्द्रप्रताप के शामलाती खाते की आराजीयात खाता संख्या 54 की ख.नं. 92 का रकबा 1.74 हेक्टर तथा खाता संख्या 53 की ख.नं. 403 रकबा 1.55 हेक्टर आराजीयात स्थित है। वाद पत्र के साथ में नकल नवीन जमाबन्दी खाता संख्या 54 व 53 पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी वादिया तथा वादिया की बहन बद्री बाई उर्फ नटी बाई के शामलाती खाते की आराजी थी जिसमें से प्रतिवादी क्रम 1 विरेन्द्रप्रताप पुत्र रामदयाल ने खाता संख्या 54, 53 में से 1/2 हिस्सा क्रय किया था लेकिन मौके पर वादिया खाता संख्या 54 का ख.नं. 92 का रकबा 1.74 हेक्टर को काश्त कर रही है तथा प्रतिवादी क्रम 1, 2 खाता

संख्या 53 का ख.नं. 403 का रकबा 1.55 हेक्टर को काश्त कर रहे है जबकि वादिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 का खाता संख्या 54, 53 की आराजीयात पर 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज खाता है। वादिया तथा उसके पुत्र श्योपाल ने पिछले वर्ष भी माह जून में खाता अलग–अलग कराने बाबत कहा था लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 ने कहा कि इस वर्ष मेरे को काश्त कर लेने दो अगले वर्ष अपनी सहमति से हिस्सा अलग कर लेगें। इस वर्ष जब वादिया तथा उसके लड़के ने प्रतिवादी क्रम 1, 2 से दिनांक 25/05/2020 को अलग–अलग हिस्सा कराने की बात की तो प्रतिवादी क्रम 1, 2 ने उसके बाद में वादिया को मारने की धमकी दी तथा खाता विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1. 2 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादी क्रम 1, 2 आराजी खाता संख्या 53 की ख.नं. 403 का रकबा 1.55 हेक्टर आराजी पर जबरन कब्जा बनाने में सफल रहे तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादिया अपने हिस्से की स्वामित्व की आराजी से वंचित हो जावेगी। इस वजह से वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1, 2 पारित की जावे कि वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजीयात खाता संख्या 54 का ख.नं. 92 का रकबा 1.74 हेक्टर तथा खाता संख्या 53 का ख.नं. 403 का रकबा 1.55 हेक्टर माल हरनावदा तहसील अटरू का विभाजन किया जाकर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी 1/2 हिस्सा वादिया का पृथक किया जावे तथा वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1, 2 को बेदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी क्रम 1, 2 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। प्रतिवादी क्रम 3 से प्रतिवादी क्रम 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा रहन रखकर ऋण ले रखा है। इस वजह से बाद विभाजन ऋण का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते पर दर्ज किया जावे। वाद विभाजन का होने की वजह से तथा राजस्थान सरकार भूमिधारी होने की वजह से उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15/06/2020 को वादिया को आराजी ख.नं. 403 का रकबा 1.55 हेक्टर में से अपना 1/2 हिस्सा काश्त नहीं करने देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 25/05/2020 को बंटवारा कराने से साफ इन्कार करने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित विवाद ग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम एवं माल हरनावदा तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1, 2 पारित की जावे किः—

(अ) वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी ख.नं. 92 का रकबा 1.74 हेक्टर तथा ख.नं. 403 का रकबा 1.55 हेक्टर माल हरनावदा तहसील अटरू का विभाजन किया जाकर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी 1/2 हिस्सा वादिया का पृथक से खाते दर्ज किया जावे।

(ब) बाद विभाजन वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1, 2 को बेदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी क्रम 1, 2 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादिया को दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार बटवारे का निवेदन किया।

उपरोक्त उनवान के वाद में पक्षकार वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी दाब दबाव के इस प्रकार राजीनामा हुआ है। वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 54 का ख. नं. 92 का रकबा 1.74 हे0 वादिया के रहेगी तथा खाता संख्या 53 का ख. नं. 403 का रकबा 1.55 हे० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के रहेगी। उक्त राजीनामा मुताबिक वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पृथक—पृथक राजस्व रिकॉर्ड में आराजी खाते दर्ज की जावे।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार पक्षकारान वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम आराजी पृथक—पृथक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के क्रम में डिक्री पारित करने की कृपा करें।

राजीनामा न्यायालय में पढकर सुनाया गया जिसे वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा सही होना स्वीकार किया गया तथा आदेशिका पर खाता पृथक करवाने हेतु सहमति हस्ताक्षर

किये। वादिया की पहचान श्री मोहनलाल सुमन एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की पहचान श्री दिग्विजय सिंह एड0 द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया ।

अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण द्वारा विवादित आराजी का राजीनामा अनुसार खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 व 2 विवादित आराजी का राजीनामा के आधार पर आपसी सहमति से खाता विभाजन करना चाहते है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अधीन बंटवारा करवाना चाहते है। इसलिए धारा 53 के प्रावधानों का अवलोकन करना आवश्यक है। अतः धारा 53 आर0टी0एक्ट0 के प्रावधान निम्नानुसार है–

A division of holding shall be effected in the following manner- (i) by agriment between the co-tenants in respect of- (a) Such division of the holding , and (b) the distribution of rent over the several portions in to which the holding is so divided, or

(ii) by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more the co-tenants for the purpose of the deviding the holding and distrebuiting the rent hereof over the several portions into which it is divided.

अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू की विवादित आराजी की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 53 पुराना 48 की ख0न0 403 रकबा 1.55 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.55 है0 आराजी वादिया (पारवती बाई पुत्री चतुर्भुज) व प्रतिवादी क्रम 2 (विमला बाई पत्नी रामदयाल) के नाम हिस्सा 1/2–1/2 तथा ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू की विवादित आराजी की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 54 पुराना 48 की ख0न0 92 का रकबा 1.74 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.74 है0 आराजी वादिया (पारवती बाई पुत्री चतुर्भुज) तथा प्रतिवादी क्रम 1 (विरेन्द्र प्रताप पुत्र रामदयाल) के हिस्सा 1/2–1/2 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है।

श्रीमान शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांकः प. 5(1)राज–6/97/10 दिनांक 08.09.1997 व पत्रांकः प.5 (1) राज–6/97/15 दिनांक 02.09.2000 के अनुसार सहखातेदारों में विभाजन की सहमति होने पर सहमति के आधार पर ही डिक्री की जायेगी।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर.टी. एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण व पेश राजीनामा के आधार पर वादिया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल हरनावदा पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू के खाता संख्या 54 के खसरा नं0 92 का रकबा 1.74 है0 भूमि वादिया पारवती बाई पुत्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी खुरी के नाम दर्ज की जावें तथा विवादित आराजी ग्राम व माल हरनावदा पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू के खाता संख्या 53 का खसरा नं0 403 का रकबा 1.55 है0 हिस्सा 1/2 प्रतिवादी क्रम 1 विरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू के व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी क्रम 2 विमला बाई पत्नि रामदयाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू के नाम दर्ज की जावें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू बैंक के रहन की राशि पक्षकारों के द्वारा जमा करवाए जाने के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक **19.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 81/2021 **दायर दिनांकः 22.04.2021**

उनवान

1. पारवती बाई पुत्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादिया

बनाम

1. विरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. विमला बाई पत्नि रामदयाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर. टी. एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह हाडा

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल हरनावदा पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू के खाता संख्या 54 के खसरा नं0 92 का रकबा 1.74 है0 भूमि वादिया पारवती बाई पुत्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी खुरी के नाम दर्ज की जावें तथा विवादित आराजी ग्राम व माल हरनावदा पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू के खाता संख्या 53 का खसरा नं0 403 का रकबा 1.55 है0 हिस्सा 1/2 प्रतिवादी कम 1 विरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू के व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी कम 2 विमला बाई पत्नि रामदयाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू के नाम दर्ज की जावें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू बैंक के रहन की राशि पक्षकारों के द्वारा जमा करवाए जाने के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.06.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)